

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 79] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 5, 1973/फाल्गुन 14, 1894

No. 79] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 5, 1973/PHALGUNA 14, 1894

इस भाग में भिन्नपृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 5th March 1973

S.O. 117(E).—Whereas a vacancy has occurred in the Council of States due to the death of Sri Balkrishna Gupta, a member elected to the Council of States from Bihar, before the expiration of his term of office;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of Section 147 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby calls upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Bihar to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person to fill the vacancy so caused before the 26th March, 1973 (Monday).

[No. 100/CS-BR/9/72(1).]

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 5 मार्च, 1973

एस० नो० 117(अ).—यतः बिहार से राज्य सभा के लिए निर्वाचित सदस्य श्री बालकृष्ण गुप्ता की उसकी पदावधि के अवसान से पूर्व मृत्यु हो जाने से राज्य सभा में एक स्थान रिक्त हो गया है ।

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 147 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग बिहार राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से एतद्वारा अपेक्षा करता है कि वे ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिये 26 मार्च, 1973 (सोमवार) से पूर्व, उक्त अधिनियम के और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित करवे ।

[सं० 100/रा० सं०-बिहार/9/72 (1).]

S.O. 118(E).—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 39 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-BR/9/72(1), dated the 5th March, 1973:—

- (a) the 12th March, 1973 (Monday), as the last date for making nominations;
- (b) the 13th March, 1973 (Tuesday), as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) the 15th March, 1973 (Thursday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 22nd March, 1973 (Thursday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 26th March, 1973 (Monday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/CS-BR/9/72(2).]

एस० ओ० 118(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा० सं०-बिहार/9/72(1), तारीख 5 मार्च, 1973 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के बारे में :—

- (क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख . . . 12 मार्च, 1973 (सोमवार);
- (ख) नामनिर्देशनों को संवीक्षा की तारीख . . . 13 मार्च, 1973 (मंगलवार);
- (ग) अभ्यर्थिता वापस लेने की अन्तिम तारीख . . . 15 मार्च, 1973 (बृहस्पतिवार)
- (घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हो तो मतदान होगा . . . 22 मार्च, 1973 (बृहस्पतिवार) तथा
- (ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जायेगा . . . 26 मार्च, 1973 (सोमवार)

एतद्वारा नियत करता है ।

[सं० 100/रा० सं०-बिहार/9/72 (2).]

S.O. 119(E).—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby fixes the hours from 11.00 A.M. to 4.00 P.M. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-BR/9/72(1), dated the 5th March, 1973.

[No. 100/CS-BR/9/72(3).]

एस० ओ० 119(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा० सं०-बिहार/9/72 (1) तारीख 5 मार्च, 1973 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए 11 बजे पूर्वाह्न से 4 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हो तो, मतदान होगा ।

[सं० 100/रा० सं०-बिहार/9/72 (3).]

S.O. 120(E).—In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission, in consultation with the Government of Bihar, hereby designates the Secretary, Legislative Assembly Secretariat, Bihar, as the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-BR/9/72(1), dated the 5th March, 1973.

[No. 100/CS-BR/9/72(4).]

एस० ओ० 120(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग, बिहार सरकार के परामर्श से, अपनी अधिसूचना सं० 100/रा०सं०—बिहार/9/72 (1) तारीख 5 मार्च, 1973 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए बिहार विधान सभा सचिवालय के सचिव को रिटनिंग आफिसर के रूप में एतद्द्वारा पदाभिहित करती है ।

[सं० 100/रा०सं०—बिहार/9/72(4)]

S.O. 121(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints the Joint Secretary, Legislative Assembly Secretariat, Bihar, to assist the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-BR/9/72(1), dated the 5th March, 1973, in the performance of his functions.

[No. 100/CS-BR/9/72(5).]

एस० ओ० 121(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा०सं०—बिहार/9/72(1), तारीख 5 मार्च, 1973 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए रिटनिंग आफिसर को उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिये बिहार विधान सभा सचिवालय के संयुक्त सचिव की एतद्द्वारा नियुक्ति करती है ।

[सं० 100/रा०सं०—बिहार/9/72(5)]

S.O. 122(E).—Whereas a vacancy has occurred in the Council of States due to the death of Chaudhary A. Mohammad, a member elected to the Council of States from Bihar, before the expiration of his term of office;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of Section 147 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby calls upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Bihar to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person to fill the vacancy so caused before the 26th March, 1973 (Monday).

[No. 100/CS-BR/2/73(1).]

एस० ओ० 122(अ).—यतः बिहार से राज्य सभा के लिए निर्वाचित सदस्य चौधरी ए० मोहम्मद की उसकी पदावधि के अवसान से पूर्व मृत्यु हो जाने से राज्य सभा में एक स्थान रिक्त हो गया है;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 147 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग बिहार राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से एतद्द्वारा अपेक्षा करता है कि वे ऐसे हर्ष रिक्ति को भरने के लिए 26 मार्च, 1973 (सोमवार) से पूर्व, उक्त अधिनियम के और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें ।

[सं० 100/रा०सं०—बिहार/2/73(1)]

S.O. 123(E).—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 39 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-BR/1/73(1), dated the 5th March, 1973:—

- (a) the 12th March, 1973 (Monday), as the last date for making nominations;
- (b) the 13th March, 1973 (Tuesday), as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) the 15th March, 1973 (Thursday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 22nd March, 1973 (Thursday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 26th March, 1973 (Monday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/CS-BR/2/73(2).]

एस० ओ० 123(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा०स०—बिहार/2/73(1), तारीख 5 मार्च, 1973 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के बारे में —

- (क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख— 12 मार्च, 1973 (सोमवार);
- (ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख 13 मार्च, 1973 (मंगलवार);
- (ग) अभ्यर्थिता वापस लेने की अन्तिम तारीख 15 मार्च, 1973 (बृहस्पतिवार);
- (घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हो, तो मत-
होता 22 मार्च, 1973 (बृहस्पतिवार)

तथा

- (ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर
दिया जायेगा 26 मार्च, 1973 (सोमवार)

एतद्वारा नियत करता है।

[सं० 100/रा०स०—बिहार/2/73(2).]

S.O. 124(E).—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby fixes the hours from 11.00 a.m. to 4.00 p.m. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-BR/1/73(1), dated the 5th March, 1973.

[No. 100/CS-BR/2/73(3).]

एस० ओ० 124(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा०स०—बिहार/2/73(1), तारीख 5 मार्च 1973 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए 11 बजे पूर्वाह्न से 4 बजे अपराह्न तक का समय के रूप में एतद्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हो तो, मतदान होगा।

[सं० 100/रा०स०—बिहार/2/73(3).]

S.O. 125(E).—In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission, in consultation with the Government of Bihar, hereby designates the Secretary, Legislative Assembly

Secretariat, Bihar, as the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-BR/2/73(1), dated the 5th March, 1973.

[No. 100/CS-BR/2/73(4)]

एस० ओ० 125(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग, बिहार सरकार के परामर्श से, अपनी अधिसूचना सं० 100/रा०स०-बिहार/2/73(1), तारीख 5 मार्च, 1973 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिये बिहार विधान सभा सचिवालय के सचिव को रिटर्निंग आफिसर के रूप में एतद्वारा पदाभिहित करता है।

[सं० 100/रा०स०-बिहार/2/73(4)]

S.O. 126(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints the Joint Secretary, Legislative Assembly Secretariat, Bihar, to assist the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-BR/2/73(1), dated the 5th March, 1973, in the performance of his functions.

[No. 100/CS-BR/2/73(5).]

By Order,

A. N. SEN, Secy.

एस० ओ० 126(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा०स०-बिहार/2/73(1), तारीख 5 मार्च, 1973 के अनुसरण में राज्य सभा के लिये होने वाले निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर को उसके कर्तव्यों के पालन में सहायता करने के लिये बिहार विधान सभा सचिवालय के संयुक्त सचिव की एतद्वारा नियुक्ति करता है।

[सं० 100/रा०स०-बिहार/2/73(5)]

आदेश मे,

ए० एन० सैन, सचिव।

